



सीआईएल का 44वां स्थापना दिवस

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

वार्षिक रिपोर्ट 2018–19

संगठनात्मक ढांचा और कार्य

प्रस्तावना

कोयला मंत्रालय कोयला तथा लिग्नाइट के भंडारों के अन्वेषण और विकास के संबंध में नीतियों तथा कार्य नीतियों का निर्धारण करने, उच्च मूल्य की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संस्वीकृति प्रदान करने और सभी सम्बद्ध मामलों का निर्णय लेने के लिए समग्र रूप से उत्तरदायी है। इन महत्वपूर्ण कार्यों का निर्वहन इसके सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात् कोल इंडिया लि. (सीआईएल), नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन इंडिया लि. (एनएलसीआईसी) तथा सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल), जो तेलंगाना राज्य सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें इक्विटी पूंजी का अनुपात 51:49 है, के माध्यम से किया जाता है।

विजन

कोयला मंत्रालय का मुख्य उद्देश्य कोयले की उपलब्धता हासिल करने हेतु इसके विजन से जुड़ा है जिससे अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की मांग को पर्यावरण के अनुकूल और स्थायी तरीके से पूरा करने के लिए कोयले की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके तथा सरकारी कंपनियों के माध्यम से उत्पादन में तेजी लाने और अत्याधुनिक, स्वच्छ कोयला प्रौद्योगिकियों द्वारा कैप्टिव खनन प्रमाणिक संसाधनों को बढ़ाने पर बल देते हुए अन्वेषण प्रयासों में वृद्धि करने तथा कोयले की तत्काल निकासी हेतु आवश्यक संरचना का विकास करने के समग्र मिशन को पूरा किया जा सके।

उद्देश्य

- कोयला उत्पादन तथा आफटेक, ओबीआर हटाने, लिग्नाइट उत्पादन तथा लिग्नाइट आधारित विद्युत उत्पादन के लिए वार्षिक कार्य योजना लक्ष्यों को प्राप्त करना सुनिश्चित करना।
- कोयला तथा धुले हुए कोयले के उत्पादन में बढ़ोतरी लाने हेतु अवसंरचना विकास
- पर्यावरणीय कठिनाइयों को कम करने हेतु प्रौद्योगिकी की लिवरेजिंग करना।
- अत्याधुनिक अनुसंधान तथा विकास पहले

- संसाधन आधार में वृद्धि करने हेतु अन्वेषण में वृद्धि
- ग्राहक सेवाओं में गुणवत्ता और विश्वसनीयता
- अंतरमंत्रालयी मुद्दों में तेजी से तथा संयुक्त रूप से समाधान
- कोल इंडिया की क्षमता में सुधार
- निजी निवेश आकर्षित करना
- पारदर्शी तरीके से कोयला ब्लॉकों का आबंटन

कोयला मंत्रालय के कार्य

कोयला मंत्रालय का सरोकार भारत में कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों के अन्वेषण, विकास तथा दोहन से संबंधित है। कोयला मंत्रालय को समय-समय पर संशोधित भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 के अनुसार आबंटित विषय (अधीनस्थ अथवा स्वायत्त संगठनों तथा संबद्ध विषयों से जुड़े पीएसयू) में निम्नलिखित शामिल हैं:-

- (i) भारत में कोकिंग कोयला और नान कोकिंग कोयला तथा लिग्नाइट भंडारों का अन्वेषण, विकास।
- (iii) ऐसी कोयला वाशरियों को छोड़कर जिनके लिए इस्पात विभाग जिम्मेदार है, कोयला वाशरियों का विकास और प्रचालन।
- (iv) कोयले का निम्न तापीय कार्बनीकरण तथा कोयले से संश्लिष्ट तेल का उत्पादन।
- (v) कोयला गैसीकरण से संबंधित सभी कार्य।
- (vi) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 (1974 का 28) का प्रशासन।
- (vii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन।
- (viii) कोयला खान भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 (1948 का 46) का प्रशासन।
- (ix) खानों से उत्पादित और प्रेषित किए गए कोक और कोयला पर उत्पाद-शुल्क की उगाही और संग्रहण के लिए खान अधिनियम, 1952 (1952 का 32) के अंतर्गत नियम और बचाव निधि का प्रशासन।

- (x) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20) का प्रशासन।
- (xi) खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का 67) तथा अन्य संघीय कानूनों का प्रशासन, जहां तक उक्त अधिनियम और कानूनों का संबंध कोयला और लिग्नाइट तथा रेत भराई और ऐसे प्रशासन से संबंधित कार्य, जिसमें विभिन्न राज्यों से संबंधित प्रश्न शामिल हैं।
- (xii) कोयला खान राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1973 (1973 का 26) का प्रशासन,
- (xiii) कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 का प्रशासन आदि।

संगठन ढांचा

कोयला मंत्रालय के सचिवालय के प्रमुख सचिव हैं, जिनकी सहायता के लिए एक अपर सचिव, पांच संयुक्त सचिव (वित्तीय सलाहकार तथा नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी सहित), एक परियोजना सलाहकार, एक आर्थिक सलाहकार, बारह निदेशक/उप सचिव/संयुक्त निदेशक, बारह अवर सचिव, चौबीस अनुभाग अधिकारी, एक उप-निदेशक, दो सहायक निदेशक, एक लेखा नियंत्रक, एक उप लेखा नियंत्रक, दो वरिष्ठ लेखा अधिकारी तथा तीन सहायक लेखा अधिकारी तथा उनके सहायक कर्मचारी हैं। कोयला मंत्रालय का संगठन चार्ट अनुबंध-1 में दिया गया है।

अधीनस्थ कार्यालय तथा स्वायत्त संगठन

कोयला मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन निम्नलिखित अधीनस्थ एवं स्वायत्त संगठन हैं:-

- (i) कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ) का कार्यालय एक अधीनस्थ कार्यालय।
- (ii) कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) एक स्वायत्तशासी निकाय।

सार्वजनिक क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र की कंपनियां

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)

कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) एक "महारत्न" कंपनी है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल में है। सीआईएल विश्व में कोयला उत्पादन करने वाली एक मात्र सबसे बड़ी कंपनी तथा (31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के

अनुसार) 288687 जनशक्ति सहित सबसे बड़ा नियोजित कारपोरेट है। सीआईएल भारत के आठ राज्यों में फैले 82 खनन क्षेत्रों में प्रचालरत है। कोल इंडिया लिमिटेड के पास 369 खानें (31 दिसंबर, 2018 की स्थिति के अनुसार) हैं जिनमें से 174 भूमिगत, 177 ओपनकास्ट और 18 मिश्रित खानें हैं। इसके अलावा सीआईएल 16 कोयला वाशरियां (12 कोकिंग कोल तथा 04 नॉन कोकिंग कोल) प्रचालित करती है तथा कार्यशाला, अस्पताल आदि जैसे अन्य प्रतिष्ठानों का भी प्रबंधन करती है। सीआईएल के पास 27 प्रशिक्षण संस्थान हैं। सीआईएल के नियंत्रणाधीन भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान (आईआईसीएम) एक उत्कृष्ट प्रशिक्षण केंद्र है तथा कार्यपालकों को बहु-आयामी प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान करती है। कोल इंडिया के प्रमुख उपभोक्ता विद्युत एवं इस्पात क्षेत्र हैं। अन्य में सीमेंट, उर्वरक, ईट भट्टे तथा कई अन्य उद्योग शामिल हैं।

सीआईएल की पूर्ण स्वामित्व वाली आठ सहायक कंपनियां निम्नलिखित हैं:-

- ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल),
- भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल)
- सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल)
- वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल)
- साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल)
- नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)
- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल)
- सेन्ट्रल माइन प्लानिंग और डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआईएल)

इसके अलावा, सीआईएल की मोजांबिक में कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाडा (सीआईएएल) नामक एक विदेशी सहायक कंपनी है। असम में एक खान अर्थात् नार्थईस्टर्न कोलफील्ड्स का प्रबंधन सीआईएल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है।

महानदी कोलफील्ड्स लि., कोल इंडिया लि. की एक सहायक कंपनी की एक सहायक कंपनी तथा तीन संयुक्त उद्यम, एसईसीएल की दो सहायक कंपनियां तथा सीसीएल की एक सहायक कंपनी है।

कोल इंडिया के प्रमुख उपभोक्ता विद्युत और इस्पात क्षेत्र हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में सीमेंट, उर्वरक, ब्रिक किल्न तथा छोटे उद्योग शामिल हैं।

सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल)

- सिंगरैनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) तेलंगाना सरकार तथा भारत सरकार का एक संयुक्त उद्यम है जिसमें क्रमशः 51:49 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी है। एससीसीएल का प्राणहिता— गोदावरी घाटी कोलफील्ड में 10475 मिलियन टन प्रामाणिक भंडार है। एससीसीएल कुल अखिल भारत उत्पादन का लगभग 9% का उत्पादन करती है।
- एससीसीएल का तेलंगाना में कोटागुडेम, भद्राद्री जिले में पंजीकृत कार्यालय है। एससीसीएल वर्तमान में लगभग 48,942 श्रमशक्ति सहित तेलंगाना के छह जिलों में 18 ओपनकास्ट तथा 30 भूमिगत खानें प्रचालित कर रही है।
- ओडिशा के अंगुल जिले में अगस्त, 2015 में एससीसीएल को नैनी कोयला ब्लॉक आबंटित किया गया था जिसके लिए खनन पूर्व कार्यकलाप चल रहे हैं। तेलंगाना राज्य के भद्राद्री जिले में स्थित पेनागड्डम्पा कोयला ब्लॉक 15 दिसंबर, 2016 को एससीसीएल को आबंटित किया गया है।
- वर्तमान में 2X600 मे.वा. सिंगरैनी थर्मल विद्युत स्टेशन तेलंगाना के मंचेरियल जिला में प्रचालन में है। वर्ष 2018–19 के दौरान सकल विद्युत उत्पादन 8686 एमयू है तथा ग्रिड को निवल निर्यात 8211 एमयू है।
- एससीसीएल ने तेलंगाना एससीसीएल कमान क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर 229 मे.वा. का सोलर पावर संयंत्र स्थापित करने का भी प्रस्ताव किया है।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)

एनएलसी इंडिया लिमिटेड एक “नवरत्न” कंपनी है जिसका पंजीकृत कार्यालय चेन्नई में तथा कारपोरेट कार्यालय नेयवेली, तमिलनाडु में है जो कि ऊर्जा क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में अग्रणी है। एनएलसी इंडिया लिमिटेड निम्नलिखित का प्रचालन करती है:-

- नेयवेली में 28.5 मि.टन. प्रतिवर्ष की कुल क्षमता से तीन ओपनकास्ट लिग्नाइट खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 2.1 मि.टन. प्रति वर्ष की क्षमता से एक ओपनकास्ट लिग्नाइट खान।
- नेयवेली में 2890 मे.वा. की कुल स्थापित क्षमता सहित चार तापीय विद्युत स्टेशन तथा बरसिंगसर, राजस्थान में 250 मेवा

की कुल स्थापित क्षमता सहित एक तापीय विद्युत स्टेशन।

- एनएलसीआईएल ने कझनूरकुलम, तिरुनेलवेली जिला, तमिलनाडु में 51 मे.वा. की स्थापित क्षमता सहित अपने पवन ऊर्जा संयंत्र के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन के क्षेत्र में कदम बढ़ाया है। एनएलसीआईएल ने 140 मे.वा. का सौर-ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है, सितंबर 2018 में एक मे.वा. क्षमता का रूफ-टॉप सौर-ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था, 500 मे.वा. तमिलनाडु सौर विद्युत परियोजना में माननीय रेल और कोयला मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिनांक 14 जून, 2018 और 04 मार्च, 2019 को क्रमशः 300 मे.वा. और 200 मे.वा. की परियोजना राष्ट्र को समर्पित की गई थी।
- तमिलनाडु में 709 मे.वा. की सौर-ऊर्जा परियोजनाएं सितंबर, 2019 तक शुरू हो जाने की आशा है।
- एनएलसी तमिलनाडु पावर लि. (एनटीपीएल), एनएलसी इंडिया लिमिटेड तथा टीएनएनजीईडीसीओ का एक संयुक्त उद्यम (89:11 के अनुपात में इक्विटी भागीदारी) के माध्यम से तुतिकोरीन, तमिलनाडु में 500 मे.वा. की क्षमता की दो इकाइयों सहित कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना प्रचालन में है।
- अतः मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एनएलसी इंडिया लि. की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 4834.5 मे.वा. थी।

नेयवेली में चार थर्मल पावर स्टेशन और तीन खानें तथा बरसिंगसर, राजस्थान में लिग्नाइट खानें एवं थर्मल पावर स्टेशन आईएसओ 14001 (पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली), आईएसओ 9001 (गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली) और ओएचएसएस 18001 (व्यावसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली) प्रमाणित हैं। एनएलसीआईएल की उत्पादन वृद्धि बनी हुई है और भारत के सामाजिक तथा आर्थिक विकास में इसका पर्याप्त योगदान है।

कोयला नियंत्रक का संगठन (सीसीओ)

कोयला नियंत्रक संगठन (सीसीओ), कोयला मंत्रालय का एक अधीनस्थ कार्यालय है और इसका मुख्यालय कोलकाता में है और धनबाद, राँची, बिलासपुर, नागपुर, सम्बलपुर, कोटागुडेम और आसनसोल में इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

इस कार्यालय का प्रमुख कोयला नियंत्रक है जो संयुक्त सचिव के समतुल्य अधिकारी हैं इन्हें अन्य समूह 'क' के 09 राजपत्रित अधिकारियों द्वारा सहयोग दिया जाता है जिनके ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

क्रम सं.	पदनाम	स्तर
1	उप कोयला नियंत्रक	एल-13
2	निदेशक (भारतीय सांख्यिकी सेवा)	एल-13
3	कोयला सीसीओ अधीक्षक	एल-12
4	संयुक्त उप कोयला नियंत्रक	एल-12
5	उप निदेशक (भारतीय सांख्यिकी सेवा)	एल-11
6	कोयला नियंत्रक के सचिव	एल-11
7-9	उप सहायक कोयला नियंत्रक	एल-10

यह कार्यालय गुणवत्ता मामले, खोलने की अनुमति, कैप्टिव कोयला ब्लॉकों की निगरानी, एस्करो खाता खोलने, न्यायालयी मामलों की देख-रेख, रेत भराई उत्पाद कर संग्रहण संबंधी शेष कार्यों की निगरानी, सीसीडीए, भुगतान आयुक्त से संबंधित कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

कार्य:

कोयला नियंत्रक संगठन विभिन्न संविधियों से उत्पन्न विभिन्न सांविधिक कार्य करता है :

- (i) कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004
- (ii) कोयला खान (संरक्षण और विकास) अधिनियम, 1974 और कोयला खान (संरक्षण और विकास) नियम, 1975 (2011 में संशोधित)।
- (iii) सांख्यिकी एकत्रीकरण अधिनियम, 2008 और सांख्यिकी एकत्रीकरण (केंद्रीय) नियम, 2011
- (iv) कोयला धारी क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957 (1957 का 20)।

इसके अलावा कोयला नियंत्रक संगठन निम्नलिखित कार्य भी करता है:

- (क) कैप्टिव कोयला ब्लॉकों (निधानित और आबंटित) के कोयला उत्पादन की निगरानी का कार्य।
- (ख) वाशरियों की मानीटरिंग का कार्य।
- (ग) खान बंद करने संबंधी योजनाओं की प्रस्तुति पर अनुवर्ती कार्रवाई करना तथा विभिन्न कोयला/लिग्नाइट कंपनियों के साथ एस्करो लेखा करार पर हस्ताक्षर करने हेतु भारत सरकार की ओर से एक मात्र प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना।

01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान कोयला नियंत्रक संगठन द्वारा निष्पादित कार्य का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:-

(1) कोयला खानों को खोलने तथा पुनः खोलने के लिए अनुमति प्रदान करना।

कोयला नियंत्रक संगठन ने 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 के दौरान 29 कोयला/लिग्नाइट खानों को खोलने तथा पुनः खोलने को अनुमति प्रदान की है।

(2) कोयलाधारी क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत मामलों का निपटान

01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 की अवधि के दौरान कोयला नियंत्रक ने सीबीए अधिनियम, 1957 की धारा 8 के अंतर्गत 09 अधिसूचनाओं के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

(3) एकत्रित एवं विश्लेषित कोयला नमूने, प्राप्त सांविधिक शिकायतें एवं निपटान

कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004 तथा कोयला खान (संरक्षण और विकास) संशोधन नियम, 2011 के अंतर्गत कोयला नियंत्रक कोलियरियों से प्रेषित कोयले की गुणवत्ता का अनुमोदन करता है तथा उपभोक्ताओं की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों का भी निपटान करता है।

31-03-2019 तक 23 सांविधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। मामलों के समाधान हेतु कार्रवाई की गई है।

वर्ष 2018-19 के दौरान ग्रेड निर्धारण प्रयोजन हेतु सीसीओ ने विभिन्न कोयला खानों एवं भारत की सभी कोयला कंपनियों की साइडिंग्स में पूरे वर्ष किंचित सैम्पलिंग कार्यकलाप किया था। 01 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक एकत्रित एवं विश्लेषित कोयला नमूनों (जांच) की कुल संख्या 1580 है।

(4) उत्पाद शुल्क का संग्रहण

एक अप्रैल 2018 से 31 मार्च, 2019 तक = 1.78 करोड़ रु.

टिप्पणी : कराधान कानून संशोधन अधिनियम, 2017 के माध्यम से कोयला खान (संरक्षण तथा विकास) अधिनियम, 1974 के अनुसार कोयले (स्टोइंग उत्पाद शुल्क एसईडी) पर लगाया गया उपकर को दिनांक 01.07.2017 को जीएसटी लागू होने के साथ ही समाप्त कर दिया गया है।

(5) कोयला सांख्यिकी का संग्रहण, समेकन तथा प्रकाशन

कोयला तथा लिग्नाइट के उत्पादन और प्रेषण के विभिन्न मानदंडों के संबंध में संग्रहण, समेकन, प्रकाशन तथा आंकड़ों के प्रसार के लिए एकमात्र एजेंसी होने के नाते सीसीओ केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, आरबीआई, डीआईपीपी, भारतीय खान ब्यूरो तथा अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को मासिक आंकड़े उपलब्ध कराता है। यह वार्षिक कोयला निर्देशिका तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी भी प्रकाशित करता है। कोयला निर्देशिका 2016-17 तथा अनंतिम कोयला सांख्यिकी 2017-18 पहले ही प्रकाशित कर दी गई है। कोयला निर्देशिका 2017-18 पर कार्य चल रहा है।

(6) कोयला ब्लॉकों की मॉनिटरिंग तथा प्रगति

कोयला नियंत्रक का कार्यालय सीएमडीपीए के अनुसार प्रस्तुत किए जाने हेतु कैप्टिव कोयला ब्लॉकों के दक्षता मापदंडों के संबंध में सूचना एकत्र करता है तथा रिपोर्टों को समेकित करता है। यह पहले आबंटित कोयला ब्लॉकों से संबंधित बैंक गारंटियों के मामलों की मॉनिटरिंग भी करता है और मंत्रालय द्वारा यथा अपेक्षित रिपोर्टें भेजता है।

(7) खान बंद करने संबंधी योजना तथा एस्करो लेखा करार का अनुपालन

कोयला नियंत्रक कार्यालय को अनुमोदित खान बंद करने संबंधी योजना (प्रगामी तथा अंतिम) के अनुसार खनन क्षेत्रों की खान बंद करने संबंधी कार्यकलापों के कार्यान्वयन एवं मॉनिटरिंग करने तथा पर्यावरण सुरक्षा, पूर्ण सुरक्षा क्षेत्र फेंसिंग,

संरक्षा एवं पुनरुद्धार एवं पुनर्वास कार्यों पर हुए व्यय के संबंध में सीएमपीडीआईएल/एनईईआरआई, नागपुर/आईएसएम, धनबाद/आईआईटी, खड़कपुर/आईआईईएसटी, शिवपुर जैसी सरकारी अधिसूचित संस्थानों से प्रमाणीकरण का कार्य करने तथा खान बंद योजना तैयार करने हेतु कोयला मंत्रालय के दिनांक 07.01.2013 के दिशा-निर्देशों के प्रावधान के अंतर्गत अनुमोदित खान बंद योजना के अनुसार वार्षिक खान बंद करने संबंधी लागत, जहां कोयला नियंत्रक अनन्य रूप से लाभार्थी होगा, जमा करने हेतु किसी अधिसूचित बैंक में मियादी जमा एस्करो खाता खोलने का कार्य सौंपा गया है।

वर्ष 2018-19 के दौरान मार्च, 2019 तक 29 कोयला तथा लिग्नाइट खानों के लिए सरकार तथा निजी कंपनियों में एस्करो खाता खोलने के लिए कुल 28 त्रिपक्षीय एस्करो करार निष्पादित किये गए थे। 29 खानों में से 06 कोयला खानें सीआईएल/सहायक कंपनियों के अंतर्गत, 13 खानें एससीसीएल के अधीन तथा 8 कैप्टिव कोयला खानें और 2 लिग्नाइट खान हैं।

वर्ष 2017-18 (अप्रैल, 18 से मार्च, 2019 तक प्राप्त) के दौरान अधिसूचित बैंकों में एस्करो खाते में ब्याज सहित वार्षिक खान क्लोजर लागत के लिए जमा की गई एस्करो राशि 1160.74 करोड़ रु. (अनंतिम) थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान 31 मार्च, 2019 तक 583 कोयला तथा लिग्नाइट खानों को कवर करते हुए कोयला/लिग्नाइट कंपनियों और अधिसूचित बैंकों तथा सीसीओ के बीच 557 त्रिपक्षीय एस्करो खाता करार निष्पादित किए गए हैं। 31 मार्च, 2019 तक एस्करो खाते में ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि 7551.62 करोड़ रु. (अनंतिम) है।

मार्च, 2019 तक एस्करो खाते खोलने तथा उसमें वार्षिक क्लोजर लागत जमा करने की स्थिति :-

सितंबर, 2018 तक सीसीओ के साथ हस्ताक्षरित त्रिपक्षीय एस्करो करारों की संख्या	खानों की संख्या जिनके लिए एस्करो खातों पर हस्ताक्षर किया गया है	वर्ष 2018-19 (मार्च, 2019 तक) के दौरान एस्करो खाते में 2017-18 के लिए जमा की गई मूल राशि (करोड़ रु. में)	प्रारंभ से 31.03.2019 तक एस्करो खाते में जमा की गई कुल राशि (करोड़ रु. में)
557	583	1160.74	7551.62

प्रगामी एवं अंतिम माइन क्लोजर प्लान के अंतर्गत दावों का भुगतान मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार, सीसीओ को 85 कोयला/लिग्नाइट खानों से प्रगामी एवं अंतिम माइन क्लोजर प्लान के अंतर्गत

भुगतान हेतु दावे प्राप्त हुए हैं जिसमें से 22 कोयला/लिग्नाइट खानों के मामले में 834.03 करोड़ रु. का भुगतान कर दिया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया गया है:-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	खानों के नाम	प्रागामी/अंतिम माइन क्लोजर प्लान के अंतर्गत जारी राशि (आंकड़े रु. में)
1.	एसईसीएल	गेवरा ओसीपी	514721000.00
2.	एसईसीएल	दिपका ओसीपी	332241000.00
3.	सोवा इस्पात लिमिटेड	अर्धाग्राम कोल ब्लॉक	10827980.00
4.	एनसीएल	ब्लॉक-बी ओसीपी	184980903.00
5.	एनसीएल	खडिया ओसीपी	195383940.00
6.	एनसीएल	निगाही ओसीपी	375150146.00
7.	एसईसीएल	कुस्मुण्डा ओसीपी	228412000.00
8.	एसईसीएल	चुर्चा आर ओ यूजी	43875000.00
9.	डब्ल्यूसीएल	पत्थाखेड़ा -II	50309193.00
10.	नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	खान-I (आईएनसीएल. विस्तार)	1105471653.00
11.	नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	खान-I,	195900707.00
12.	नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	खान-II	1141927708.00
13.	एनसीएल	बीना ओसीपी	369634331.00
14.	एमसीएल	भुवनेश्वरी ओसीपी	18958300.00
15.	एनएलसीआईएल	बरसिंगसर	110995233.00
16.	एनसीएल	जयंत ओसीपी	1101425698.00
17.	एनसीएल	दूधीचुआ ओसीपी	571356570.00
18.	एनसीएल	अमलोहरी ओसीपी	332870674.00
19.	एसईसीएल	राजनगर ओ सी	261039900.00
20.	डब्ल्यूसीएल	सास्ति ओसीपी	280974000.00
21.	डब्ल्यूसीएल	नवीन कुण्डा ओसीपी	1776450000.00
22.	डब्ल्यूसीएल	घूघस ओसीपी	736227000.00
कुल:			8340300000.00

(8) भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य

कोकिंग कोल खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1972 और कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसरण में भुगतान आयुक्त (सीओपी) के दो कार्यालय स्थापित किए गए थे, एक धनबाद तथा दूसरा कोलकाता में ताकि वर्ष 1972-73 में राष्ट्रीयकृत कोयला खानों के पूर्व स्वामियों की देयताओं का निपटान करने हेतु राशि का संवितरण किया जा सके। धनबाद कार्यालय का अधिकांश कार्य समाप्त होने के पश्चात् इस कार्यालय को बंद कर दिया गया था

तथा शेष कार्य को भुगतान आयुक्त कार्यालय कोलकाता को 1987 में अंतरित कर दिया गया था।

तत्पश्चात् आर्थिक आयोग सुधार (ईआरसी) की सिफारिशों के अनुपालन में भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता को भी 06 जून, 2007 से बंद कर दिया गया है। भुगतान आयुक्त कार्यालय, कोलकाता का शेष कार्य कोयला नियंत्रक कार्यालय को अंतरित कर दिया गया है। वर्तमान में कोयला नियंत्रक पदेन भुगतान आयुक्त के रूप में कार्य कर रहे हैं।

भुगतान आयुक्त का निष्पादन निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	विवरण	कोकिंग कोल खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972	कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973
1	केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत कोलियरियों की संख्या और भुगतान आयुक्त द्वारा खोले गए तदनुसूची कोलियरी खाते	226	711
2	31.03.2019 तक बंद कोलियरी खातों की संख्या	187	627
3	2018-19 के दौरान बंद कोलियरी खातों की संख्या (अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019)	शून्य	शून्य
4	31.03.2019 तक बंद किये जाने वाले कोलियरी खातों की संख्या	39	84
5	2018-19 के दौरान भुगतान की गई मुआवजा राशि (31.03.2019)	शून्य	शून्य
6	31.03.2019 की स्थिति के अनुसार भुगतान हेतु शेष राशि	415.37 लाख रुपये	848.61 लाख रुपये

कोयला खान (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2015 के अंतर्गत भुगतान आयुक्त को नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी, कोयला मंत्रालय द्वारा उन्हें देय मुआवजा राशि के वितरण के लिए भी इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किया गया है। वर्ष 2016-17 और 2017-18 तथा 2018-19 (मार्च, 2019 तक) के दौरान किए गए भुगतानों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	वितरित राशि
2016-17	944,69,37,538/-
2017-18	197,31,98,353/-
2018-19 (मार्च, 2019 तक)	2,47,41,088/-

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ)

कोयला खान भविष्य निधि संगठन (सीएमपीएफओ) एक स्वायत्त निकाय है जिसकी स्थापना कोयला खान भविष्य निधि तथा विविध उपबंध अधिनियम, 1948 में की गई थी और इसका कार्य कोयला खान भविष्य निधि स्कीम, 1948, कोयला खान बीमा स्कीम से संबंधित निक्षेप,

1976 तथा कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 को लागू करना है। इन तीन स्कीमों का परिचालन त्रिपक्षीय न्यासी बोर्ड द्वारा किया जाता है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधि होते हैं।

31 जनवरी, 2019 (अनुमानित) की स्थिति के अनुसार संगठन द्वारा लगभग 4.18 लाख भविष्य निधि दाताओं को तथा लगभग 5.19 लाख पेंशनभोगियों को सेवाएं दी जाती हैं। सीएमपीएफओ का मुख्यालय धनबाद में है और देश में कोयला उत्पादक सभी राज्यों में इसके 20 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

कोयला खान भविष्य निधि स्कीम

वित्त वर्ष 2018-19 की समाप्ति पर निजी क्षेत्र में प्रचलित कोक संयंत्रों को छोड़कर इस स्कीम के अंतर्गत आने वाली कोयला खानों तथा कार्यालय एककों की कुल संख्या 879 है। 31.03.2019 की स्थिति के अनुसार भविष्य निधि स्कीम, 1948 के अंतर्गत लगभग 4.18 लाख जीवित सदस्यता होने का अनुमान है।

वर्ष 2018-19 अर्थात् (01.04.2018 से 28.02.2019) तक के दौरान स्वैच्छिक अंशदान सहित कोयला खान भविष्य निधि अंशदान की रकम लगभग 7000.00 करोड़ रुपए थी तथा दिनांक 01.03.2019 से 31.03.2019 के दौरान कोयला खान भविष्य निधि में लगभग 550.00 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त होने का अनुमान है। इस प्रकार अंशदान की कुल राशि बढ़कर लगभग 50000.00 करोड़ रुपए हो जाएगी। निधि में मौजूद पूरी रकम का निवेश वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार किया जाता है। 31 फरवरी, 2019 तक कुल 80,000.00 करोड़ रुपए का निवेश (16,522.00 करोड़ रुपए के एसडीएस निवेश सहित) है। वृद्धिकारक निवेश (अंकित मूल्य) 01.04.

2018 से 28.02.2019 तक 3000.00 करोड़ रुपए हैं तथा 01.03.19 से 31.03.19 तक यह निवेश की राशि लगभग 500.00 करोड़ रुपए है।

वर्ष 2018-19 के दौरान सदस्यों की एकत्र राशि पर प्रति वर्ष (शून्य) प्रतिशत की दर से (बीओटी द्वारा प्रस्तावित) अनंतिम ब्याज की अनुमति दी गई है। वर्ष 2018-19 के लिए ब्याज दर का निर्धारण करने हेतु बीओटी की कोई बैठक नहीं की गई है।

वर्ष 2018-19 (31 मार्च, 2019 तक) के दौरान अदा किए गए अग्रिमों सहित भविष्य निधि से वापिस की गई राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

भविष्य निधि की वापसी और अग्रिम के मामले	निपटाए गए (01.04.2018 से 31.01.2019) मामलों की संख्या तथा वितरित #	निपटाए जाने वाले (01.02.2019 से 31.03.2019) तथा वितरित किए जाने वाले मामलों की अनुमानित संख्या #
भविष्य निधि वापसी मामले	27926	6000 लगभग}
विवाह अग्रिम	3898	1000 लगभग}
शिक्षा अग्रिम	607	
गृह निर्माण अग्रिम	1441	
भविष्य निधि तथा अग्रिम पर वितरित राशि	6700.00 करोड़ रु. लगभग (दिनांक 01.04.18 से 29.02.19 तक लागू)	650.00 करोड़ रुपए लगभग। (दिनांक 01.03.19 से 31.03.19 तक लागू)

सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

सीएमपीएफओ स्कीम के प्रशासन की लागत की पूर्ति कोयला कंपनियों द्वारा सीएमपीएफओ को 03 प्रतिशत की दर से प्रदत्त प्रशासनिक प्रभार में से की जाती है।

कोयला खान के सभी कामगारों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ प्रदान करने पर बल देने के परिणामतः सीएमपीएफ/ ईपीएफ अधिनियम के उपबंधों के अधीन संविदाकार के कामगारों को शामिल करने से कामगारों की संख्या 87570 (31.12.2017) से घटकर 85873 (31.01.2019) हो गई।

बीमा से संबद्ध कोयला खान निक्षेप स्कीम

सेवा के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु के मामले में, जो कोयला खान भविष्य निधि स्कीम का सदस्य था, उसके द्वारा मनोनित व्यक्ति भविष्य निधि की राशि के अतिरिक्त पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान मृत व्यक्ति के खाते में औसत शेष राशि के बराबर पाने का अधिकारी है बशर्ते यह राशि 10,000 रुपए से अधिक न हो।

इस स्कीम के अनुसार कर्मचारियों को शामिल किए गए कार्मिकों की

कुल मजदूरी के 0.5 प्रतिशत की दर से अंशदान करना होता है। केंद्र सरकार को भी इस स्कीम के अंतर्गत कर्मचारियों द्वारा अंशदान की गई राशि के आधी राशि के बराबर अंशदान करना होता है। इस समय इस स्कीम के प्रशासन की लागत को पूरा करने के लिए निजी क्षेत्र के नियोजक कुल मजदूरी के 0.1 प्रतिशत की दर से अंशदान करते हैं और केंद्र सरकार उसका 50 प्रतिशत अर्थात् कुल मजदूरी का 0.05 प्रतिशत की दर से अंशदान करती है।

सीआईएल के कार्यकारी संवर्ग के कर्मचारियों को राजपत्र अधिसूचना सं. एसओ 822 (ई) दिनांक 24.03.2009 के तहत उक्त स्कीम से प्रवर्तन से छूट प्राप्त थी। सीआईएल तथा इसकी सहायक कंपनियों के कामगारों को कोयला मंत्रालय द्वारा इस स्कीम के प्रवर्तन से पहले छूट दी गई थी।

कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998:

कोयला खान भविष्य निधि की धारा 3 ई और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948 (1948 का 46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के अधिक्रमण में

किए गए कार्यों तथा ऐसी अधिक्रमण के पूर्व किए जाने वाले कार्यों को छोड़कर, केंद्र सरकार ने कोयला खान पेंशन योजना, 1998 बनाया है। कोयला खान पेंशन योजना 31 मार्च, 1998 से लागू हुई है।

01.04.2018 से 31.12.2018 तथा 01.01.2019 से 31.03.2019 (अनुमानित) के दौरान कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के अंतर्गत निपटाए गए कुल पेंशन दावों एवं भुगतान का विवरण नीचे दर्शाया गया है:-

कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998	निपटाए गए (01.04.2018 से 31.01.2019) तथा वितरित मामलों की संख्या	निपटाए जाने वाले (01.02.2019 से 31.03.2019) तथा वितरित किए जाने वाले मामलों की अनुमानित संख्या #
पेंशन के निपटाए गए नए दावों की संख्या	29125	6000 लगभग
कोयला खान पेंशन स्कीम, 1998 के अंतर्गत वितरित धनराशि	2700.00 करोड़ रुपए	260.00 करोड़ रुपए लगभग

सभी आंकड़े अनंतिम हैं।

पेंशन निधि में निम्नलिखित शामिल हैं :-

- (क) नियुक्ति के दिन को कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 की निवल परिसंपत्ति।
- (ख) कर्मचारी के मासिक वेतन के दो तथा एक तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि जो निधि में कर्मचारी और नियोजक के अंशदान बराबर-बराबर शेयर का अपना-अपना कुल अंशदान करते हैं, कर्मचारी की निधि से नियम दिन से अंतरित किया जाना है।
- (ग) 1 अप्रैल, 1989 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, से 31.3.1996 तक कर्मचारी को प्रदत्त मूल एवं मंहगाई भत्ता के 2% के बराबर राशि और 1 अप्रैल 1996 से अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख, इनमें से जो भी बाद में हो, उसके वेतन से अंतरित की जाएगी।
- (घ) 1 जुलाई, 1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख इसमें जो भी बाद में हो, से कर्मचारी के वेतन के आधार पर परिकलित एक वेतनवृद्धि के बराबर राशि कर्मचारी के वेतन से 1.7.1995 अथवा कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से, इसमें से जो भी बाद में हो, से अंतरित की जानी है।
- (ङ.) कर्मचारी के वेतन के एक तथा दो तिहाई प्रतिशत के बराबर राशि का केंद्र सरकार द्वारा नियत तारीख से अंशदान किया जाना है;

बशर्ते कि ऐसे कर्मचारी के मामले में जिसका वेतन एक हजार छः सौ रु. प्रति माह से अधिक हो, केंद्र सरकार द्वारा देय अंशदान मात्र एक हजार छः सौ रु. प्रति माह के वेतन पर देय

अधिकतम राशि के बराबर होगा।

- (च) इस स्कीम के प्रावधानों के अनुसार इस योजना में शामिल होने का विकल्प देने वाले नए कर्मचारियों सहित पेंशन योजना के सदस्यों द्वारा जमा की जाने वाली राशि:-

वर्ष 2018-19 के दौरान अर्थात् 01.04.2018 से 28.04.2019 तक लगभग 3300.00 करोड़ रु. तथा 01.03.2019 से 31.03.2019 तक लगभग 200.00 रुपये सेवारत सदस्यों के अनिवार्य पेंशन अंशदान के रूप में भविष्य निधि से पेंशन निधि में जमा किया गया था। सेवारत सदस्यों का पेंशन अंशदान 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार 4800.00 करोड़ रुपए है। (सरकार के अंशदान तथा ब्याज सहित)।

कवरेज:

- (क) वे सभी कर्मचारी, जो समाप्त की गई कोयला खान परिवार पेंशन योजना, 1971 के सदस्य थे और 31 मार्च, 1998 की कर्मचारियों की नामावली में थे।
- (ख) ऐसे सभी कर्मचारी जो 31 मार्च, 1998 को अथवा उसके बाद नियुक्त किए गए।
- (ग) ऐसे सभी सदस्य जिन्होंने योजना के तहत विनिर्दिष्ट शर्त के साथ पीएस-1 और पीएस-2 प्रपत्र जैसी भी स्थिति हो, में पेंशन निधि की सदस्यता को चुना है।
- (घ) 1.4.94 से 31.3.1998 की अवधि में सेवाकाल के दौरान मृत सभी कर्मचारियों को दिनांक 12.8.2004 के जीएसआर सं. 521 (ई) के अनुसार योजना के मानित इच्छुक सदस्यों के रूप में माना जाएगा।